

कार्यपालक, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

काद सं- 35 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

T.P

कमलाकान्त महतो वनाम राजकिशोर महतो

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

अभिलेख सं०-एम 35 / 20 19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अपराधविवे सं०- 03/19 दिनांक 11/03/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि भूमि विवाद के कारण उभय पक्ष में तनाव है।




जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुभ होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुभ हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उन्से प्रत्येक को 1000(एक हजार) ₹ का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 29/3/19 को उपस्थापित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
25-10-19	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  उपस्थित दिनाप पत्र अनुपस्थित । प्रथम  पत्र गवाह नही आने के कारण इनके अधिवक्ता  द्वारा गवाही हेतु अगली तिथि की मांग  की गयी (दिनांक 11-11-19 को देखें)</p> <p style="text-align: right;"> 25/10/19</p>
11-11-19	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र  उपस्थित दिनाप पत्र अधिवक्ता हाजरी ।  उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि  पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालनाथित  हो गया है  अतः वाद के अभिलेख की कापी  बन्द की जाती है  लेखापत्र एवं संग्रहित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी  बुध (राज्य)</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी  बुध (राज्य)</p>